खादी ग्रामोद्योग आयोग में कर्मचारियों की संख्या

1059. **श्री रामनरेश कुशवाहा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग में इस समय कुल कितने कर्मचारी और पद हैं तथा उनकी राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) उनके पदनाम व ग्रेड क्या हैं; और

(ग) खादी भवन, नई दिल्ली द्वारा क्या कार्य किये जाते हैं तथा इन कार्यों को करने के लिये अलग-अलग कितने विभाग हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

खादी ग्रामोद्योग भवन में कर्मचारियों के लिये भर्ती नियम

1060. **श्री रामनरेश कुशवाहा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारियों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती नहीं किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के भर्ती नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं । खुली भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के बारे में विज्ञापन दिया जाता है तथा रोजगार केन्द्रों को सूचित किया जाता है। रोजगार केन्द्रों द्वारा प्रायोजित प्रार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है तथा इसके लिए गठित की गई एक कर्मचारी चयन समिति द्वारा चयन किया जाता है ।

(ख) खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों के भर्ती संबंधी नियम खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जो एक कानूनी निकाय है, बनाए जाते है । ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

खादी भवन, नई दिल्ली

1061. **श्री रामनरेश कुशवाहा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी भवन, नई दिल्ली ने नई दिल्ली में रीगल बिल्डिंग की ऊपर की दोनों मंजिलों सहित वह हिस्सा खरीद लिया है जिसमें बिक्री कक्ष है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि खरीद करते समय अथवा बाद में मकान मालिक से कोई गुप्त समझौता किया गया है, जिसके तहत बिल्डिंग की दूसरी मंजिल को केवल 300 रुपये मासिक किराये पर दे दिया गया है तथा उसने उसी हिस्से को किसी बैंक को आगे किराये पर उठा दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग ने रीगल बिल्डिंग के परिसर संख्या 24, 47 से 49 तथा 70 खरीदे थे । इस इमारत की

खरीद के बारे में बातचीत के समय इसके मालिक सरदार दलजीत सिंह ने 10 लाख रुपये की मांग की थी। किन्तु वह इसमें कमी करके 6.00 लाख रुपये पर इस शर्त पर राजी हो गये थे कि 47–49 तत्कालीन किरायेदार, दिल्ली प्रशासन द्वारा खाली कर दिये जाने पर उनकी पत्नी श्रीमती अमरजीत कौर को किराये पर दे दिये जायेंगे। घटायी गई कीमत को ध्यान में रखते हुए खादी आयोग इस शर्त्त पर सहमत हो गया था, जिसके परिणाम 4 लाख रुपये की बचत हुई थी, जैसाकि परिसर की खरीद के समय तय हुआ था और खादी तथा ग्रामोद्योग एवं सरदार दलजीत सिंह की पत्नी श्रीमती अमरजीत कौर के बीच हुए समझौते की शर्त्तों के अनुसार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग रीगल बिल्डिंग (पश्चिम) की पहली मंजिल के परिसर संख्या 47–49 या उसके बदले में दूसरी मंजिल के पूरे फलैट नं० 70 को किराये पर देने के लिए राजी हो गया था।

चूंकि परिसर संख्या 47–49 खादी ग्रामोद्योग भवन के उपयोग के लिए अधिक उपयोगी पाया गया था, अत: खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने परिसर संख्या 70 श्रीमती अमरजीत कौर को 266 रु० प्रति मास की दर से किराए पर दे दिया था। जैसाकि किरायेदारी तथा म्युनिसिपल अधिनियम के अधीन स्वीकार्य है। किरायेदार श्रीमती अमरजीत कौर ने इमारत को आगे किराये पर देने की अनुमति के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग उद्योग से सम्पर्क किया था। आयोग ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किराये पर दिये गए परिसरों को आगे किराये पर देने की अनुमति इस शर्त्त पर दी थी कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के उपबंधों और लागू अन्य कानूनों तथा नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा तथा इन परिसरों को रहने के लिए न देकर केवल कार्यालय के उपयोग के लिए ही आगे किराये पर दिया जायेगा। इसके अलावा, यह भी अनुबंध किया गया था कि आगे किराये पर देने से पूर्व, किरायेदार ऐसा करने के अपने आशय की सूचना तथा आगे किराये पर देने सम्बन्धी ब्यौरा, अर्थात् किये जाने वाले व्यवसाय आदि की सूचना लिखित रूप में देगी। यदि आगे किराये पर दिये जाने के कारण उसी इमारत में स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में चल रहे कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इसे किसी पार्टी विशेष को आगे किराये पर देने के बारे में आपत्ति प्रकट करने पर खादी तथा ग्रामोद्योग का अधिकार सुरक्षित रहेगा। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने उपर्युक्त शर्त्तों पर श्रीमती अमरजीत कौर द्वारा इन परिसरों का कुछ भाग मैसर्स इन्डियन ओवरसीज बैंक, इन्डियन बैंक या किसी अन्य अनुसूचित बैंक को आगे किराये पर दिए जाने पर अपनी सहमति दे दी थी। श्रीमती अमरजीत कौर ने अपने कब्जे के परिसर का कुछ हिस्सा इन्डियन ओवरसीज बैंक को आगे किराये पर दे दिया था।

Industrial capacity

1062. SHRI ASHWANI KUMAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the extent of capacity utilisation of the existing industrial capacity in the country under the control of his Ministry;

(b) whether there are any constraints for the optimum utilisation of this capacity and if so, the nature of such constraints; and

(c) what steps Government propose to take to remove these constraints to ensure optimum utilisation of capacity and achieve higher production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) A statement showing capacity utilisation percentage in 1981 is annexed.